संख्या- 19/2016/408 /74-2016-22(ब)/2016

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊ:: दिनांक 28 अप्रैल, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनेत्तर-08-रेशम अनुसंधान एवं विकास की योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-11/सेरी0/लेखा0/आयो0 बजट/2016-17, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनेत्तर-08-रेशम अनुसंधान एवं विकास की योजना में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 450 हजार (रूपए चार लाख पच्चास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि हजार रू0 में)

मद सं0	मद का नाम	वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि
02	मजदूरी	200
29	अनुरक्षण	50
42	अन्य व्यय	50
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	150
	योग	**450**

(रूपए चार लाख पच्चास हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2017 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिए गए शर्तो/नियमों के अनुसार किया जायेगा

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम एवं लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनेत्तर-08-रेशम अनुसंधान एवं विकास की योजना की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या- 19/2016/408 (1)/74-2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश वेबसाईट पर लोड कर दें।
(10) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(जे0एल0यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in